

बिहार राज्य सहयोग कथ-विक्रय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री प्रिभिलेश कुमार मिश्र, लडाख मंडार प्रमंडलीय जब  
अधिप्राप्ति-केन्द्र राज्यपुर (बिहार शरीर) के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय  
आदेशों तथा-ज्ञापांक-के0ले0बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.  
2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹ 1,4,02,789.00 की  
अवधि निकासी करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से निलम्बित  
किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय वरीय प्रमंडलीय कार्यालय, बिस्कोमान,  
पटना (बिहार शरीर)  
निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

2/1/14  
प्रवक्ता निदेशक

- ज्ञापांक-2400-2400/20-210-2-20-2020 दिनांक-6-1-2014
- प्रतिनिधि:-
1. श्री प्रिभिलेश कुमार मिश्र, लडाख प्रमंडलीय को  
वरीय कार्यालय बिस्कोमान, पटना को  
सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है  
कि निचंत्रि पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंपेंगे।
  2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार  
अपने अधीनस्थ कर्मिक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
  3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
  4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
  5. प्रभारी कम्प्यूटर कोर्पोरेशन/एन0 डाटा ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
  6. अध्यक्ष/प्रवक्ता निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/1/14  
सचिव  
6.1.14